संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड 'I')
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2021

सं. एफ. 9/1/2021-प.I(ख) निम्नलिखित पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड 'I') की चयन सूचियों में नाम शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 11 दिसंबर, 2021 से **चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई** तथा **नागपुर** में आरंभ होने वाली यह परीक्षा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 15 सितंबर, 2021 को प्रकाशित नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उम्मीदवारों का अंतिम चयन विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा विशेष अनुमति याचिका संख्या 31288/2017 में लंबित मुक़दमे के परिणाम के आधार पर तय किया जाएगा और परिणाम घोषित किया जाएगा |

उपर्युक्तानुसार परीक्षा आयोजित करने के केन्द्रों तथा तारीखों में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि पूरा प्रयास किया जाएगा कि उम्मीदवारों को उनकी पसंद का केन्द्र आबंटित किया जाए, परंतु परिस्थितिवश आयोग द्वारा उम्मीदवार को कोइ अन्य केन्द्र भी आबंटित कर सकता है। परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को समय-सारणी तथा परीक्षा के स्थल या स्थलों की जानकारी प्रदान की जाएगी। यह नोट कर लिया जाए कि आशुलिपिक (ग्रेड-बी/ ग्रेड-I) श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि का परीक्षा परीक्षण केवल दिल्ली केन्द्र पर ही देना होगा।

2. उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं के अंतर्गत भर्ती की जानी है वे नीचे दी गई हैं। हालांकि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या फिलहाल संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं अत: इस चरण में इस नोटिस में इसका कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता।

श्रेणी I केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी II भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी III रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी IV केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

श्रेणी V भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड

श्रेणी VI सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

श्रेणी VII रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

श्रेणी VIII आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

श्रेणी IX कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निजी सचिव ग्रेड

3. एक से अधिक श्रेणी के लिए पात्र ऐसे उम्मीदवार जो दोनों श्रेणियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने के इच्छुक हैं, केवल एक ही आवेदन भरें।

नोट : उम्मीदवार अपने आवेदनों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वे किस श्रेणी/श्रेणियों के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। दो श्रेणियों के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन में अपनी वरीयता के अनुसार दोनों श्रेणियों का उल्लेख करें। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में पहले से उल्लिखित वरीयताओं में कुछ जोड़ने/संशोधन करने के संबंध में आयोग किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

4. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख** :

उम्मीदवारों को अपना आवेदन संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में विस्तृत अनुदेश संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक मुद्रित प्रति को अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आयोग कार्यालय भिजवाना होगा। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2021 से 5 अक्तूबर 2021 तक (सांय 6.00 बजे तक) भरे जा सकेंगे, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदन की मुद्रित प्रति, उचित माध्यम से, आयोग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2021 है। पूर्ण रूप से भरी मुद्रित प्रति विभागाध्यक्ष/ अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने के बाद निर्धारित तारीख तक या

उससे पहले अवर सचिव(प-VI), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 तक पहुंच जानी चाहिए।

इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा आरंभ होने से तीन सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर अपलोड कर दिए जाएंगे और पात्र उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा तो उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना मान्य तथा सक्रिय ई-मेल आईडी भी भरें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकता है।

नोट : उक्त परीक्षा में केवल ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित की गई है | उम्मीदवार यह भी नोट कर ले कि किसी भी कारण से आवेदन प्राप्त नहीं होने या विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में आयोग जिम्मेदार नहीं होगा| उचित माध्यम से आयोग में आवेदन की मुद्रित प्रति प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा और विलंब से प्राप्त हुए सभी आवेदनों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा | अतः उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी संगत प्रविष्टियों के सत्यापन तथा आवेदन पत्र के अंत में अनुमोदन के उपरांत उनके आवेदन उनके विभाग या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित होकर निर्धरित अंतिम तारीख तक या उससे पहले आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाए |

ओम प्रकाश
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

<u>अनुबंध</u>

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे नोटिस तथा नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और यह देख लें कि क्या वे पात्र हैं। परीक्षा के लिए निर्धारित शर्तों में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले उम्मीदवार नोटिस के पैराग्राफ 1 में दिए गए केंद्रों में से उस केंद्र का चयन कर लें जहां वे यह परीक्षा देने के इच्छुक हैं।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र पर उल्लिखित केंद्र से इतर किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसके पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वह परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के प्रयोजनार्थ पात्रता की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। आयोग द्वारा संगत परीक्षा के सभी चरणों अर्थात् लिखित परीक्षा तथा सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा और इस शर्त के अध्यधीन होगा कि वे पात्रता की निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। यदि लिखित परीक्षा या सेवा अभिलेख के मूल्यांकन से पहले या उसके बाद, किसी भी समय सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

3. उक्त परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को परीक्षा देते समय अपने ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ-साथ अपना सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर किए गए हस्ताक्षर, अर्थात् आवेदन पत्र पर, उपस्थिति सूची में तथा आयोग के साथ सभी पत्राचार में, एक

समान हों और इन हस्ताक्षरों में किसी प्रकार का कोई अंतर न हो। यदि विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है, तो आयोग द्वारा संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. उम्मीदवार यह भी नोट करें कि आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि में किसी भी परिवर्तन के संबंध में उनसे प्राप्त किसी पत्रादि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। चूंकि आवेदन पत्र कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं, अत: उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को सही प्रकार से भरने में पूरी सावधानी बरतें।

6. उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने विभाग के अध्यक्ष अथवा कार्यालय के अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें जो सभी संगत प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे और आवेदन पत्र के अंत में अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करके इसे आयोग को अग्रेषित कर देंगे।

7. उम्मीदवार उक्त परीक्षा देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कोई यात्रा भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे।

8. किसी आवेदन के संबंध में सभी पत्रादि अवर सचिव (अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 को संबोधित होने चाहिए और इनमें निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए :

(1) परीक्षा का नाम
(2) परीक्षा का माह और वर्ष
(3) पंजीकरण आईडी [आरआईडी]/जन्मतिथि/ अनुक्रमांक, यदि आबंटित किया गया हो
(4) उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) तथा
(5) डाक का पूरा पता, जैसा कि आवेदनों में दिया गया हो

नोट (1)- उपर्युक्त विवरण के बिना प्राप्त हुए पत्रादि पर संभव है कि कार्रवाई न की जाए।

नोट (2)- यदि परीक्षा का आयोजन हो जाने के बाद किसी उम्मीदवार से कोई पत्र प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम तथा अनुक्रमांक प्रदान न किया गया हो तो ऐसे पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

9. **<u>पते में परिवर्तन</u>** - उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पत्र में दिए गए पते पर उन्हें भेजे गए पत्र आदि भली-भांति रीडायरेक्ट हो जाएं, यदि आवश्यक हो। यदि पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो इसकी सूचना आयोग को यथाशीघ्र प्रदान की जाए। हालांकि आयोग इस प्रकार हुए परिवर्तन के संदर्भ में हरसंभव प्रयास करता है, परंतु इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड 'I') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 15 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड 'I') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2016 एवं 2017 के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिनमें पात्रता की शर्तें आदि शामिल हैं।

ख. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को पढ़ लें।

1. आवेदन कैसे करें :

क. उम्मीदवारों को वेबसाइट www.upsc.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 सितंबर, 2021 से 5 अक्तूबर, 2021 तक** (सांय 6.00 बजे तक) भरे जा सकेंगे, **जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।**

ख. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी कॉलम सही भरे गए हैं। आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि में किसी भी परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवारों से प्राप्त किसी पत्रादि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक मुद्रित प्रति को अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आयोग कार्यालय भिजवाना होगा। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2021 से 5 अक्तूबर 2021 तक (सांय 6.00 बजे तक) भरे जा सकेंगे, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदन की मुद्रित प्रति, उचित माध्यम से, आयोग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2021 है। पूर्ण रूप से भरी मुद्रित प्रति विभागाध्यक्ष/ अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने के बाद निर्धारित तारीख तक या उससे पहले अवर सचिव(प-VI), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 तक पहुंच जानी चाहिए।

इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा आरंभ होने से तीन सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर अपलोड कर दिए जाएंगे और पात्र उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा तो उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना मान्य तथा सक्रिय ई-मेल आईडी भी भरें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकता है।

नोट : उक्त परीक्षा में केवल ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित की गई है। उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि किसी भी कारण से आवेदन प्राप्त नहीं होने या विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। उचित माध्यम से आयोग में आवेदन की मुद्रित प्रति प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और विलंब से प्राप्त हुए सभी आवेदनों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अतः, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी संगत प्रविष्टियों के सत्यापन तथा आवेदन पत्र के अंत में अनुमोदन के उपरांत उनके आवेदन उनके विभाग या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित होकर निर्धारित अंतिम तारीख तक या उससे पहले आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाएं।

3. (क) सभी फील्डों को भरा जाना अनिवार्य है।

(ख) कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना मान्य तथा सक्रिय ई-मेल पता प्रदान किया है।

4. सबमिशन बटन को क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक संदेश आएगा जिसमें स्पष्ट रूप से आपके नाम तथा ईमेल का उल्लेख होगा और यह कि आपको पंजीकृत कर लिया गया है और आपके आपका पासवर्ड आपके ईमेल पते पर भेज दिया गया है। कृपया इस पासवर्ड को नोट कर लें।

5. उपर्युक्तानुसार, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतर्गत छह मॉड्यूल हैं, नामत: वैयक्तिक, परीक्षा संबंधी सूचना, ग्रेड संबंधी सूचना, रोजगार संबंधी सूचना, फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर को अपलोड करना तथा फाइनल सबमिशन।

6. फॉर्म को फाइनल सबमिशन मॉड्यूल के माध्यम से अंतिम तौर पर ऑनलाइन जमा करने से पहले उम्मीदवार सभी मॉड्यूलों को पूर्ण रूप से भरेंगे।

7. प्रत्येक मॉड्यूल को पूरा करने के उपरांत उम्मीदवार उसे सेव कर लें। हालांकि उम्मीदवारों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपने **आवेदन पत्र** को अंतिम तौर पर जमा करने(फाइनल सबमिशन) से पहले किसी भी मॉड्यूल में परिवर्तन कर सकें। **फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद ऑनलाइन रूप से कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

नियम

सा.का.नि.6/1/2020-सीएस.I (पी) - निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) हेतु चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 एवं 2017 के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उम्मीदवारों का अंतिम चयन विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 में लंबित मुकदमे के परिणाम के आधार पर तय किया जाएगा और परिणाम घोषित किया जाएगा।श्रेणी III के संबंध में, रेल मंत्रालय ने दिनांक 04.06.2021 को एक अनंतिमवरिष्ठता सूची जारी की थी, जिसके अंतर्गत रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) ग्रेड की वर्ष 1985 से वर्ष 2011 तक की वरिष्ठता सूची में संशोधन किए गए हैं।

इस वरिष्ठता सूची को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) ग्रेड की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक, श्रेणी III के संबध में परिणाम रोक दिए जाएंगे और अंतिम तौर पर उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण, रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दी गई संगत वर्षों की वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. नीचे कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो पात्रता की निर्णायक तिथि (जैसाकि नीचे उल्लिखित है) को कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कॉलम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

<u>पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि</u>

1 जुलाई, 2016	2016 की परीक्षा के लिए
1 जुलाई, 2017	2017 की परीक्षा के लिए

<u>नोट:</u>

1. 2016 की परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार, 2017 की परीक्षा के लिए भी पात्र हैं, बशर्ते उम्मीदवार पात्रता की अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता हो तथा उम्मीदवार ने इस प्रकार चुने जाने के लिए विशिष्ट तौर पर विकल्प दिया हो।

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'ग')	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो।	वर्ग I
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' सामान्य संवर्ग का सहायक ग्रेड, आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड और साईफर उप संवर्ग का सहायक साईफर ग्रेड	सामान्य संवर्ग के सहायक ग्रेड/ साईफर संवर्ग के सहायक साईफर ग्रेड/ आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। उम्मीदवार के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की	वर्ग II

	स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'।	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग III
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।	वर्ग IV
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड	आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित सेवा 5 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	वर्ग V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VI
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो का का आशुलिपिक सेवा ग्रेड –II	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अथवा एलडीसीई आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों के मामले में आसूचना ब्यूरो में स्थायी या नियमित नियुक्त अस्थायी सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-II (वैयक्तिक सहायक) जिनकी अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो बशर्ते उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी एलडीसीई परीक्षा परीक्षा का आयोजन हुआ हो की 1 जुलाई से 5 वर्ष पूर्व न हुआ हो अथवा उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी ग्रेड एलडीसीई आयोजित हुआ हो की 1 जुलाई को अपने संबद्ध फीडर ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में नियुक्त	वर्ग VIII

	अधिकारियों के मामले में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हों, परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग IX**

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार (वर्ग I, वर्ग II, वर्ग IV, वर्ग V में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार को छोड़कर) उपरोक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त किया गया है, ऐसी परीक्षा की निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख तक कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

बशर्ते कि परीक्षा की श्रेणी-IV और श्रेणी-IX के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाला यदि कोई उम्मीदवार, किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त हो जाता है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख की स्थिति के अनुसार, कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1. ऊपर के कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा, कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

तथापि यह कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया गया हो और जो कॉलम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) नहीं रखते हैं।

टिप्पणी 2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग-I और वर्ग-IV के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग-II और वर्ग-V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. जो उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र है तथा वह इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आवेदन में उस वर्ग के वरीयताक्रम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह पात्र है और विचार किए जाने का इच्छुक है। आयोग, आवेदक द्वारा पहले से प्रस्तुत वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन/जोड/बदलाव करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवार वर्ग संख्या का चयन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन/गलत संयोजन पर विचार नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। यह भी नोट करें कि किसी भी उम्मीदवार का चयन किसी भी ऐसी श्रेणी के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से विकल्प नहीं चुना है।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:–

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामशः
 (क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
 (ख) दबाव डालना, या
 (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
(ii) प्रतिरूप धारण, अथवा
(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रुप से कार्य कराया है, अथवा
(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
(v) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।
(vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा
(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामशः
 (क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;
 (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुडे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;
 (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; या
(viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा
(ix) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(xi) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, जैसा भी मामला हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे :

(क) आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

7(1) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. (i) परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों की पात्रता के अध्यधीन, दो वर्ष यथा, 2016 एवं 2017 के लिए रिक्तियों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे किसी या सभी वर्ष हेतु पात्र हों, और प्रत्येक उम्मीदवार को प्रदान किए गए कुल अंतिम अंकों के अनुसार आयोग द्वारा उम्मीदवारों का योग्यताक्रम तैयार किया जाएगा। यह योग्यताक्रम आयोग द्वारा परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग के लिए निर्धारित अर्हता मानकों के अध्यधीन होगा। तथापि, परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

यदि किसी भी वर्ष (यथा 2016 और 2017) की रिक्ति खाली रह जाए तो उसे अगले रिक्ति वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा।

संबंधित चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए वर्षवार और श्रेणीवार योग्यताक्रम (मेरिट) की सूचियां, रिक्तियों का योग्यताक्रम (मेरिट) संख्या, उम्मीदवार की मेरिट तथा उम्मीदवार द्वारा दर्शाये गए विकल्प (पात्रता के अनुसार, वर्ष और वर्ग की वरीयता) तथा अन्य सभी पात्रता की शर्तों के पूर्ण करने के आधार पर होगी। आयोग के पास परीक्षा के किसी या सभी स्तर (स्तरों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अर्हक मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार है।

जहां उम्मीदवार कुल योग्यताक्रम (मेरिट)/अंकों के आधार पर एक से अधिक वर्ग तथा/ या विचार वर्ष (कंसीड्रेशन) में अन्यथा पात्र हों, विशिष्ट चयन सूची में उन्हें शामिल किया जाना उपयुक्त समय पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उपलब्ध वर्ग-वर्ष पर निर्भर करेगा। अतः, उसके योग्यताक्रम के आधार पर, तथा रिक्ति तथा पात्रता की अन्य शर्तों के अध्यधीन उम्मीदवार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त चयन सूची (वर्ग और वर्ष) में रखा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए, विशिष्ट वर्ष हेतु चयन सूची में शामिल किया जाता है, तो अन्य सूची (सूचियों) में शामिल करते हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण किसी भी वर्ष (2016 एवं 2017) में वे रिक्तियां जिन्हें भरा नहीं जा सका को वर्ग I, III, IV, VII, VIII तथा IX के लिए अगले रिक्ति वर्ष हेतु आगे ले जाया जाएगा। यह प्रावधान वर्ग VI पर लागू नहीं होगा। वर्ग II एवं V की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मामले में उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण किसी भी वर्ष (2016 एवं 2017) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित वे रिक्तियां जिन्हें भरा नहीं जा सका हो, को अगली परीक्षा के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ग हेतु चयन सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों का अंतिम चयन, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 में लंबित मामले में आए फैसले के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर पर किया जाएगा।

नोटः- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा। आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है।

बशर्ते आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/आसूचना ब्यूरो/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-ग/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा ग्रेड -II/ सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) नहीं है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

दीप्ति उ

(दीप्ति उमाशंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी :-

भाग1

(क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी I - वर्ग IV,V VI,VII और IX हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि परीक्षा देना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपिक परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी II - उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण करना होगा।

भाग II

उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अधिकतम अंक 100 होंगे:-

(i) जिन्होंने लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग I,II,III और VIII श्रेणियों के लिए) और

(ii) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग IV,V,VI,VII और IX श्रेणियों के लिए)।

टिप्पणी I: सेवा अभिलेख (यथा बैठक के दौरान मूल्यांकन बोर्ड को प्राप्त हुई अधिकारियों की एपीएआर) के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना रैंक निर्धारण हेतु की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एपीएआर का एक बार मूल्यांकन कर लिए जाने के उपरांत, एपीएआर ग्रेडिंग आदि में बाद की तिथि में कोई परिवर्तन सहित किसी भी परिस्थिति में इसके पुनः मूल्यांकन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा

टिप्पणी II: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की परिपाटी और	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे

	कार्य की सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान			
2.	भारत सरकार सचिवालय और संबध्द कार्यालयों में प्रक्रिया और परिपाटी तथा सेवाओं की संगत श्रेणियों की आवश्कता को विधिवत ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियम	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विस्तृत	200	3 घंटे
	सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन		100	

कुल अंक - 600

3. **<u>गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)</u>**

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति (ऋणात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंको में से एक तिहाई अंको की कटौती की जाएगी।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों मे से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त शास्ति होगी ।

(iii) यदि किसी प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगा।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन का उत्तर हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। सभी तीनों प्रश्नपत्र / परीक्षा पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में होंगी।

टिप्पणी 1:- टिप्पण एव प्रारूपण तथा सार लेखन पेपर के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपनी इस इच्छा का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते है।

टिप्पणी 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसा उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतरण करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के विषयपरक पेपर में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में की गई सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

12. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा का पाठयक्रम

जहां नियमों, आदशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर-I

पेपर में समसामयिक सरोकार और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मौजूदा घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता की भी जांच शामिल होगी।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है:

(i) भारतीय संविधान के सिद्धांत

(ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही के नियम।

(iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनामों और विषयों का आबंटन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध।

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पेपर-II

इस पेपर का उद्देश्य है भारत के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेना। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान की जांच की जाएगी। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची (तथापि जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है:

(वर्ग I,IV, VIII और IX के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रंबधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल वर्ग I और IV के लिए)
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली
9. सामान्य वितीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
10. वितीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
11. आसूचना ब्यूरो स्थायी आदेश (केवल वर्ग VIII के लिए)

(वर्ग II और V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुरूपक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
7. सामान्य वितीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
8. वितीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली

9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली
10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार
11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।
12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली

(वर्ग III और VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका
2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V,VI,VIII तथा IX को छोड़कर)
4. भारतीय रेल वित्तीय कोड खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)
5. भारतीय रेल स्थापना कोड खंड-I
6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966
7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

(वर्ग VI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली
9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)

<u>पेपर-III</u>

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारुपण तथा अवतरण से संक्षेपण तैयार करें।

****